6 18

कारण आज दिनांक 6.1.19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 21.1.19 को
की जावेगी।

श्री राम पोलाई के अवकाश पर होने के
कारण आज दिनांक 21/1/19 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 28/2/19 को
की जावेगी।

21.1.19

28/2/19 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं न ही वादी उपस्थित। पत्रावली मे कई बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)